"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 405] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 सितम्बर 2017 — भाद्रपद 16, शक 1939

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–10/2017/16. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ श्रम (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. अनुसूची–एक में, शीर्षक "(ख) औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा" के अन्तर्गत, सरल क्रमांक 7 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"7क	उप संचालक स्वास्थ्य	01	प्रथम श्रेणी	15600–39100	6600
7ख	सहायक संचालक इंडस्ट्रीयल हाईजीन	01	द्वितीय श्रेणी	15600–39100	5400"

2. अनुसूची–दो में, शीर्षक "(ख) औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा" के अन्तर्गत, कॉलम 2 में प्रविष्टि "उप संचालक" एवं उससे संबंधित प्रविष्टि के नीचे, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	"उप संचालक स्वास्थ्य	01	–	100%	(विभागीय कैडर में अर्हित अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की दशा में, प्रतिनियुक्ति द्वारा)"
	सहायक संचालक इंडस्ट्रीयल हाईजीन	01	100% (लोक सेवा आयोग द्वारा)		

3. अनुसूची–तीन में, शीर्षक "(ख) औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा" के अन्तर्गत, कॉलम 2 में प्रविष्टि "सहायक संचालक (चिकित्सा)" एवं उससे संबंधित प्रविष्टि के नीचे, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	"उप संचालक स्वास्थ्य	21 वर्ष	30 वर्ष	राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम से कम तीन मास के औद्योगिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (ए.एफ.आई. एच.)	अनुभव– सहायक संचालक चिकित्सा, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के रूप में अथवा कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें में बीमा चिकित्सा अधिकारी के रूप में अथवा दोनों मिलाकर, पांच वर्ष का कार्य करने का अनुभव
	सहायक संचालक इंडस्ट्रीयल हाईजीन	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन अथवा जैव रसायन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समकक्षः वांछनीय– (क) किसी मान्यता प्राप्त वि वविद्यालय से डिप्लोमा इन इंडस्ट्रीयल हाईजीन (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित अर्हता 'उपरोक्त क' में डॉक्टोरेट उपाधि	अनुभव– इंडस्ट्रीयल हाईजीन में तीन वर्ष का शोध/प्रायोगिक कार्य अनुभव"

4. अनुसूची–चार में, शीर्षक "(ख) औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा" के अन्तर्गत, कॉलम 2 में प्रविष्टि "सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा" एवं उससे संबंधित प्रविष्टि के नीचे, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	"सहायक संचालक स्वास्थ्य	5 वर्ष	उप संचालक स्वास्थ्य	–तदैव–"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, प्रमुख सचिव.

Naya Raipur, the 4th September 2017

NOTIFICATION

No. F 1-10/2017/16. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Labour (Gazetted) Service Recuritment Rules, 2013, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In Schedule-I, under heading "(B) Industrial Health and Safety", after serial number 7, the following shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"7A	Deputy Director Health	01	First Class	15600-39100	6600
7B	Assistant Director Industrial Hygiene	01	Second Class	15600-39100	5400"

2. In Schedule-II, under heading "(B) Industrial Health and Safety", below entry "Deputy Director" in column number (2) and entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	"Deputy Director Health	01	--	100%	(by deputation in case of unavailability of qualified candidate in departmental cadre)
	Assistant Director Industrial Hygiene	01	100% (through Public Service Commission)		

3. In Schedule-III, under heading "(B) Industrial Health and Safety", below entry "Assistant Director Health" in column number (2) and entries relating thereto, the following shall be added, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	"Deputy Director Health	21years	30years	Certificate of Training in Industrial Health of minimum three months duration by institution recognised by the State Government (A.F.I.H.)	Experience- Five years working experience as Assistant Director Medical, IHS or Insurance Medical Officer in Employees State Insurance services or both added together
	Assistant Director Industrial Hygiene	21years	30years	Master's Degree in Chemistry or Bio-Chemistry of a recognized University or equivalent. Desirable: (A) Diploma in Industrial Hygiene from a recognized University (B) Doctorate Degree in relevant Qualification '(A) above' from a recognized University or equivalent.	Experience- Three years research/ practical experience in Industrial Hygiene."

4. In Schedule-IV, under heading "(B) Industrial Health and Safety", below entry "Assistant Director Industrial Health and Safety" in column number (2) and entries relating thereto, the following shall be added, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	"Assistant Director Health	05years	Deputy Director Health	-- do –"

By order and in the name of Governor of Chhattisgarh,
R. P. MANDAL, Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017.